26/5/19

आज श्री ... / ए.डी.एम
साक्ष्य ... उपस्थित/अनुपस्थित
पेशी ... पत्रावली
तारीख 27/5/19 को

17/5/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 (11) 4 CPC का स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायहित में प्रार्थी वकील का उक्त प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी वकील का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 (4) CPC का स्वीकार कर

/ क्रम.

Scanned by CamScanner

मूल वाद सं० 176/20[illegible] पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल के अनुसार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner